भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 3891
दिनांक 11.08.2026 को उत्तरार्थ

कृषि उत्पादन पर अल नीनो का प्रभाव

3891. डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में कृषि उत्पादन पर अल नीनो के संभावित प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) सूखा-रोधी फसलों और सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या अतिरिक्त फसल बीमा और मुआवजे के उपाय प्रस्तावित हैं; और

(घ) किसानों के लिए आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के विभिन्न संस्थानों, आईसीएआर- केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान (सीआरआईडीए), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एमएनसीएफसी), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी), उर्वरक विभाग (डीओएफ) और राज्य सरकारों के साथ निरंतर समन्वय करते हुए देश में कृषि पर मानसून की बदलती स्थिति और अल नीनो की स्थिति के संभावित प्रभाव की लगातार निगरानी कर रहा है।

इसके अलावा, तमिलनाडु में खरीफ 2026-27 के लिए बुआई का काम अभी भी जारी है, और वर्ष 2026-27 कृषि वर्ष (जुलाई-जून) में सभी प्रमुख खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान अभी तक जारी नहीं किया गया है।

(ख):सरकार ने फसल विविधता, कम अवधि वाली और सूखा-सहनशील किस्म की फसलों की खेती, उर्वरकों के संतुलित उपयोग, जल संरक्षण पद्धतियों, सूक्ष्म सिंचाई, मल्चिंग, अंतरफसल खेती और अन्य जलवायु-अनुकूल तकनीकों के माध्यम से सूखा-प्रतिरोधी कृषि को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया है। खरीफ 2026 के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव को देखते हुए, किसानों को प्रभावित होने वाली फसलों की जगह कम अवधि वाली अन्य फसलें उगाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) के तहत खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता में सुधार के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना हेतु सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2026-27 के दौरान, पीडीएमसी योजना के कार्यान्वयन के लिए तमिलनाडु राज्य को 255.64 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 127.82 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। 1 से 30 जून, 2026 के दौरान देशव्यापी खेत बचाओ अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें 80,67,300 किसानों ने 1,14,567 कार्यक्रमों में भाग लिया, जिनका उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना, कुशल सिंचाई और जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों का कार्यान्वयन करना था।

केंद्रीय जल आयोग और राज्य सरकारों को जलाशय के जल के अधिकतम उपयोग के लिए पूर्व योजना बनाने और कुशल सिंचाई पद्धतियों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग,

विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी जी राम जी) निधि का उपयोग जल संरचनाओं-जैसे कि खेत में तालाब, चेक डैम, नहरों से गाद हटाने और बोरी बंधन - के पुनरुद्धार के लिए कर रहा है ताकि प्रारंभिक या अवशेष वर्षा की प्रत्येक बूंद को संचित किया जा सके। इसके अलावा, जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों के रूप में, विभाग विभिन्न योजनाओं का भी कार्यान्वयन कर रहा है, अर्थात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), एकीकृत तिलहन योजना मिशन, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और देश भर में आयोजित किए जा रहे अन्य कार्यक्रम।

तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श से जिला कृषि आकस्मिक योजना (डीएसीपी) तैयार की गई है, जिसमें कम अवधि वाली और सूखा-सहिष्णु फसल किस्मों की खेती, उर्वरकों के संतुलित उपयोग, जल संरक्षण पद्धतियों, सूक्ष्म सिंचाई, मल्चिंग, अंतरफसल और अन्य जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों के सुझाव दिए गए हैं।

(ग): सरकार ने खरीफ 2026 के दौरान विशेष रूप से संभावित अल नीनो की स्थिति को देखते हुए किसानों को संभावित फसल नुकसान से बचाने के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत किया है। मौजूदा फसल बीमा ढांचे के तहत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से होने वाले फसल नुकसान के लिए किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना कर रही हैं। पीएमएफबीवाई बुआई पूर्व से लेकर फसलोपरांत तक की अवधि तक व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करती है, जिसमें व्यापक और स्थानीय दोनों प्रकार के जोखिम शामिल हैं। इन योजनाओं का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और किसानों के लिए स्वैच्छिक है और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित फसलों और जिलों के लिए किया जाता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, चक्रवातों सहित अधिसूचित आपदाओं की स्थिति में जमीनी स्तर पर आवश्यक राहत उपाय प्रदान करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) के रूप में उपलब्ध निधि से प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत उपाय करती हैं। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में एसडीआरएफ के अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाता है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे पर आधारित आकलन और राज्य सरकार द्वारा एनडीआरएफ के तहत सहायता के लिए प्रस्तुत ज्ञापन शामिल है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता वास्तविक/दावा किए गए नुकसान के मुआवजे के रूप में न होकर राहत के रूप में प्रदान की जाती है। वर्ष 2026-27 से 2030-31 (16वें वित्त आयोग के तहत) के दौरान गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया एसडीआरएफ के तहत राज्यवार फंड आवंटन का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों के बारे में शिक्षित करने और फसल उत्पादकता, उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) और कृषि विज्ञान केंद्रों की सक्रिय भागीदारी से निरंतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है।

"खेत बचाओ अभियान" 1 जून से 30 जून, 2026 तक पूरे देश में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य किसानों को उर्वरकों के संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में जागरूक करना, डीएपी और यूरिया के अत्यधिक उपयोग को कम करना और खेती की लागत को न्यूनतम करना था। इस अभियान के दौरान, तमिलनाडु राज्य में 10 हजार से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 3 लाख किसान और अन्य हितधारक शामिल हुए।

केंद्र प्रायोजित योजना "राज्य विस्तार कार्यक्रमों में विस्तार सुधार हेतु सहायता" (एटीएमए) देश के 28 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों के 734 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें तमिलनाडु के सभी 37 जिले भी शामिल हैं। यह योजना देश में विकेंद्रीकृत और किसान-हितैषी कृषि विस्तार प्रणाली को बढ़ावा देती है। योजना का उद्देश्य राज्य सरकारों के प्रयासों का समर्थन करना और विभिन्न विस्तार गतिविधियों जैसे किसान प्रशिक्षण, प्रदर्शन, एक्सपोज़र विज़िट, किसान मेला, किसान समूहों के मोबिलाइज़ेशन और खेत पाठशालाओं के आयोजन आदि के माध्यम से कृषि से संबंधित विभिन्न विषयगत क्षेत्रों और संबद्ध क्षेत्रों में नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों और अच्छी कृषि पद्धतियों को किसानों तक पहुंचाना है। वर्ष 2025-26 के दौरान, एटीएमए योजना के तहत तमिलनाडु को 43.70 करोड़ रुपये जारी किए गए थे, जिसकी तुलना में 43.55 करोड़ रुपये का व्यय किया गया, जिससे राज्य के 4 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए। वर्ष 2026-27 के दौरान, तमिलनाडु के लिए 44.45 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 11.08.2026 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3891 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्यवार वार्षिक एसडीआरएफ आवंटन

(करोड़ रुपये में)

राज्य	**2026-27**	**2027-28**	**2028-29**	**2029-30**	**2030-31**	**कुल**
आंध्र प्रदेश	1,182	1,241	1,303	1,368	1,439	**6,533**
अरुणाचल प्रदेश	99	104	109	114	121	**547**
असम	843	885	929	975	1,028	**4,660**
बिहार	2,628	2,759	2,897	3,042	3,196	**14,522**
छत्तीसगढ़	479	503	528	554	582	**2,646**
गोवा	22	23	24	25	25	**119**
गुजरात	1,633	1,715	1,801	मैं, 891	1,982	**9,022**
हरियाणा	564	592	622	653	686	**3,117**
हिमाचल प्रदेश	431	453	476	500	524	**2,384**
झारखंड	542	569	597	627	658	**2,993**
कर्नाटक	1,239	1,301	1,366	1,434	1,507	**6,847**
केरल	374	393	413	434	450	**2,064**
मध्य प्रदेश	2,258	2,371	2,490	2,615	2,743	**12,477**
महाराष्ट्र	5,718	6,004	6,304	6,619	6,952	**31,597**
मणिपुर	42	44	46	48	50	**230**
मेघालय	70	74	78	82	84	**388**
मिजोरम	46	48	50	53	55	**252**
नागालैंड	66	69	72	76	79	**362**
ओडिशा	1,718	1,804	1,894	1,989	2,088	**9,493**
पंजाब	478	502	527	553	582	**2,642**
राजस्थान	1,778	1,867	1,960	2,058	2,162	**9,825**
सिक्किम	73	77	81	85	88	**404**
तमिलनाडु	1,638	1,720	1,806	1,896	1,991	**9,051**
तेलंगाना	536	563	591	621	648	**2,959**
त्रिपुरा	57	60	63	66	70	**316**
उत्तर प्रदेश	2,957	3,105	3,260	3,423	3,597	**16,342**
उत्तराखंड	797	837	879	923	967	**4,403**
पश्चिम बंगाल	1,326	1,392	1,462	1,535	1,611	**7,326**
कुल	**29,594**	**31,075**	**32,628**	**34,259**	**35,965**	**1,63,521**

स्रोत: गृह मंत्रालय
